संख्या-1/2023/001-1505 60-3-2022 सी 340992

प्रेषक,

सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 19 जनवरी, 2023

विषय-स्वाधार गृह योजना के अन्तर्गत महिला कल्याण विभाग के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों/महिला कल्याण निगम द्वारा संचालित स्वाधार गृहों के वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक के अवशेष/लम्बित भुगतान की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2055/निदे0म0क0/अनुदान/2022-23, दिनांक 22.12.2022 के क्रम में स्वाधार गृह योजना के अन्तर्गत महिला कल्याण विभाग के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों/महिला कल्याण निगम द्वारा संचालित स्वाधार गृहों के वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक के अवशेष/लम्बित भुगतान हेतु कुल रू0-33723939.00 (रूपये तीन करोड़ सैंतीस लाख तेईस हजार नौ सौ उन्तालीस मात्र) को व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-24/2022/बी-1-750/दस-2022-231/2022, दिनांक 08.11.2022 शासनादेश संख्या-बी-1-755/दस-2022-231/2022, दिनांक 10.11.2022 में दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।

(4) धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा योजना हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) निदेशक, महिला कल्याण समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) योजनान्तर्गत अवमुक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय से पूर्व निदेशक, महिला कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत अपेक्षित केन्द्रांश उपलब्ध है।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(9) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रश्नगत स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा।

(10) उक्त धनराशि आहरित करके निदेशक, महिला कल्याण द्वारा भारत सरकार की योजना से संबंधित पुनरीक्षित गाइडलाइन्स के अनुसार संबंधित स्वैच्छिक संस्थाओं/महिला कल्याण निगम को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 2,00,33,334 (रुपये दो करोड़ तैंतीस हजार तीन सौ चौंतीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 049 **लेखा शीर्षक** 2235021030103 स्वाधार आश्रय गृह (के.60/रा.40के.रा.) **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) (2) रुपये 1,36,90,605 (रुपये एक करोड़ छत्तीस लाख नव्वे हजार छह सौ पांच मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 049 **लेखा शीर्षक** 2235021038903 स्वाधार आश्रय गृह **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-4-406-X-2022-23, दिनांक- 13.01.2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

<u>संख्या-1/2023/001-1505 60-3-2022 सी 340992, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, महिला कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।